संख्या-12/2015/767/60-2-15-2/3(4)/12

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2015

विषय- अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना-सबला के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1432/बा0वि0परि0/लेखा/2014-15, दिनांक 10 मार्च, 2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना-सबला के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में किशोरी बालिकाओं को पोषाहार दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रूपये 90,00,00 हजार (रूपये नब्बे करोड़ मात्र) के सापेक्ष रूपये 22,50,00 हजार (रूपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1566/60-2-14-2/3(4)/12, दिनांक 15.07.2014, रूपये 22,50,00 हजार (रूपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-2185(1)/60-2-14-2/3(4)/12, दिनांक 31.10.2014 एवं रूपये 22,50,00 हजार (रूपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-2936/60-2-14-2/3(4)/12, दिनांक 29.12.2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना-सबला के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 में किशोरी बालिकाओं को पोषाहार दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष् 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रूपये 90,00,00 हजार (रूपये नब्बे करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष रूपये 22,50,00 हजार (रूपये बाइस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य योजना/मद पर नहीं किया जायेगा तथा व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि के नियमानुसार व्यय के सापेक्ष आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार/शासन को ससमय प्रेषित करते हुए भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(5) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0102-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना "सबला" (के.50/रा.50 के.+रा.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

<u>संख्या-12/2015/767(1)/60-2-2015, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (वित्त) बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट)अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1।
5. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा शुक्ला)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in